

श्रीशंकर कनाग उमप्रकाश

१४/२०२५ सी०आई० प्र०का

२५/१/२५

प्राथमिकी के हिसाब से। कमील जमीन उपस्थित।
गिआसी/१५/१७३ वाचर/२२३ ५१३५५५
उपस्थित नहीं। अतः अग्रणी है-१७३ ३ के
दिए गए पत्रों में अग्रणी अग्रणी के लिये
जाती है। कमील प्रती १६५५ गी०आई० लुनी/१७३
बहुत ही अग्रणी व प्राथमिकी का अग्र प्रत्येक
अग्रणी के अग्र ५८ ५८ गी०आई० के अग्रणी
निषेधाज्ञा अग्रणी के लिये ०१/५/२०२५ को अग्रणी
के निषेधाज्ञा तब अग्रणी किया जाता है।
प्राथमिकी के अग्र अग्रणी अग्रणी अग्रणी है।
अग्रणी, वाड तब अग्रणी अग्रणी अग्रणी है।

प्राथमिकी अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



Recd
@
[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जयपुर द्वितीय

प्रार्थना पत्र संख्या ...१६.../२०२४

रमेश चन्द पुत्र श्री गोविन्दराम आयु वर्ष, जाति धानका, निवासी
प्लॉट नम्बर १२०, गोपालपुरा गांव त्रिवेणी मोड, जयपुर

--प्रार्थी

बनाम

- 1- ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
- 2- श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. रामस्वरूप
- 3- हनुमान सहाय पुत्र रामस्वरूप
निवासी- ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर
जिला जयपुर
- 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला
जयपुर राजस्थान।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
१९५५ बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार
प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के
वेस एवं सुदृढ तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को
सफलता की पूरी पूरी संभावना है।

[Signature]

